



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

18 अगस्त 2021

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण / स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹10,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। प्रतिभूति-वार रूपांतरण/स्विच के विवरण निम्नानुसार हैं:

नीलामी की तारीख	मूल प्रतिभूतियां	मूल प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि (अंकित मूल्य)	नियत प्रतिभूतियां
23 अगस्त 2021	5.09% जीएस 2022 (13 अप्रैल 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹2,000 करोड़	जीओआई एफ़आरबी 2031 (7 दिसंबर 2031 को परिपक्व होने वाली)
	8.35% जीएस 2022 (14 मई 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹2,000 करोड़	जीओआई एफ़आरबी 2031 (7 दिसंबर 2031 को परिपक्व होने वाली)
	8.15% जीएस 2022 (11 जून 2022 को परिपक्व होने वाली)	₹2,000 करोड़	जीओआई एफ़आरबी 2031 (7 दिसंबर 2031 को परिपक्व होने वाली)
	7.16% जीएस 2023 (20 मई 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹2,000 करोड़	6.64% जीएस 2035 (16 जून 2035 को परिपक्व होने वाली)
	8.83% जीएस 2023 (25 नवंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹2,000 करोड़	6.64% जीएस 2035 (16 जून 2035 को परिपक्व होने वाली)
	कुल	₹10,000 करोड़	

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 23 अगस्त 2021 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 24 अगस्त 2021 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

- अधिसूचित राशि से कम राशि के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करना।
- पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।
- बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन दिशानिर्देश एवं अन्य विवरण [अनुबंध](#) में दिए गए हैं।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/714

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक